रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-06052021-226877
CG-MH-E-06052021-226877

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188] नई दिल्ली, बुधवार, मई 5, 2021/वैशाख 15, 1943
No. 188] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 5, 2021/VAISAKHA 15, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 5 मई, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2021

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/23.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 तथा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) विनियम, 1992, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा ।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे ।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992 में संशोधन

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992 में, -

I. अनुसूची-V में, भाग-ख में, खंड 4ख निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"4ख. खंड 4क में उल्लिखित फीस आवेदक द्वारा, ऑनलाइन ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए, बैंक खाते में सीधे जमा करके अदा की जाएगी ।"

II. अनुसूची-V में, भाग-ग में, खंड 6 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"6. जो स्टॉक दलाल (स्टॉक ब्रोकर) समाशोधन सदस्य (क्लीयरिंग मेंबर) / स्व-समाशोधन सदस्य (सेल्फ-क्लीयरिंग मेंबर) के रूप में भी कार्य करता हो, वह ऊपर खंड 3 के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के लिए यथा लागू वार्षिक फीस अलग-अलग, ऑनलाइन ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए, बैंक खाते में सीधे जमा करके अदा करेगा ।"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) विनियम, 1992 में संशोधन

4. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) विनियम, 1992 में, -

I. अनुसूची-2 में, खंड 3 में, उप-खंड (ख) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात,-

"(ख) पैरा 2 में उल्लिखित फीस मर्चेंट बैंककार (मर्चेंट बैंकर) द्वारा उस ब्लॉक के समाप्त होने से एक महीने पहले ही अदा की जाएगी, जिस ब्लॉक के लिए फीस अदा की जा चुकी हो ।"

II. अनुसूची-2 में, खंड 4 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात,-

"4. पैरा 1, 2 एवं 3क में उल्लिखित फीस मर्चेंट बैंककार (मर्चेंट बैंकर) द्वारा, ऑनलाइन ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए, बैंक खाते में सीधे जमा करके अदा की जाएगी ।"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 में संशोधन

5. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 में,-

I. अनुसूची-II में, खंड 3 में, उप-खंड (ख) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात,-

"(ख) पैरा 2 में उल्लिखित फीस डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) द्वारा उस ब्लॉक के समाप्त होने से एक महीने पहले ही अदा की जाएगी, जिस ब्लॉक के लिए फीस अदा की जा चुकी हो ।"

II. अनुसूची-II में, खंड 4 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात,-

"4. पैरा 1, 2 एवं 3क में उल्लिखित फीस डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) द्वारा, ऑनलाइन ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए, बैंक खाते में सीधे जमा करके अदा की जाएगी ।"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 में संशोधन

6. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 में,-

I. अनुसूची-II में, खंड 2 में, उप-खंड (ख) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(ख) पैरा 1कक में उल्लिखित फीस निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता (रजिस्ट्रार टू एन इश्यू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट) द्वारा उस ब्लॉक के समाप्त होने से एक महीने पहले ही अदा की जाएगी, जिस ब्लॉक के लिए फीस अदा की जा चुकी हो ।"

II. अनुसूची II में, खंड 3 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"3. पैरा 1, 1कक एवं 2क में उल्लिखित फीस निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता द्वारा, ऑनलाइन ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए, बैंक खाते में सीधे जमा करके अदा की जाएगी ।"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994 में संशोधन

7. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994 में,-

I. अनुसूची-II में, खंड 3 में, उप-खंड (ख) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(ख) पैरा 2 में उल्लिखित फीस निर्गमन बैंककार (बैंकर्स टू एन इश्यू) द्वारा उस ब्लॉक के समाप्त होने से एक महीने पहले ही अदा की जाएगी, जिस ब्लॉक के लिए फीस अदा की जा चुकी हो ।"

II. अनुसूची-II में, खंड 4 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"4. पैरा 1, 2 एवं 3क में उल्लिखित फीस निर्गमन बैंककार (बैंकर्स टू एन इश्यू) द्वारा, ऑनलाइन ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए, बैंक खाते में सीधे जमा करके अदा की जाएगी ।"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 में संशोधन

8. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 में,-

I. **दूसरी अनुसूची** में, **भाग-ख** में, खंड 4 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"4. ऊपर उल्लिखित फीस ऑनलाइन ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए बैंक खाते में सीधे जमा करके अदा की जाएगी ।"

II. **दूसरी अनुसूची** में, **भाग-ख** में, खंड 4 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"5. भाग-क की मद सं. 4 के अनुसार देय रजिस्ट्रीकरण फीस (आवर्ती / रिकरिंग) [जो प्रत्येक तीन वर्षों में अदा की जानी है] साख निर्धारण एजेंसी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) द्वारा उस ब्लॉक के समाप्त होने से एक महीने पहले ही अदा की जाएगी, जिस ब्लॉक के लिए फीस अदा की जा चुकी हो ।"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 में संशोधन

9. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 में,-

I. विनियम 36 में, उप-विनियम (6) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

"(6) उप-विनियम (5) में उल्लिखित फीस उस ब्लॉक के समाप्त होने से एक महीने पहले ही अदा की जाएगी, जिस ब्लॉक के लिए फीस अदा की जा चुकी हो।"

II. दूसरी अनुसूची में, भाग-ख में, सहभागी (पार्टिसिपेंट) द्वारा अदा की जाने वाली फीस के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"फीस किसके द्वारा अदा की जानी है	*भुगतान का तरीका*
सहभागी (पार्टिसिपेंट)	फीस उस निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) को अदा की जाएगी, जिसके यहाँ फीस अदा करने वाला सहभागी हो । निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी), सहभागियों से ली गई फीस बोर्ड के पास, ऑनलाइन ही भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करते हुए, बैंक खाते में सीधे जमा करके अग्रेषित करेगा ।"

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन III /4/अ.सा./56/2021]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th May, 2021

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(PAYMENT OF FEES AND MODE OF PAYMENT) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/23.─In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) and section 25 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992, Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992, Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents), 1993, Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993, Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994, Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999 and Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018, namely: –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2021**.**

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992

3. In the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992, –

I. In Schedule V, in Part B, clause 4B shall be substituted by the following, namely-

"4B. The fee specified in clause 4A shall be payable by the applicant by way of direct credit in the bank account through online payment using SEBI payment gateway."

II. In Schedule V, in Part C, clause 6 shall be substituted by the following, namely-

"6. A stock broker who also acts as a clearing member/ self-clearing member shall pay the annual fee separately, as applicable to each category as specified in clause 3, by way of direct credit in the bank account through online payment using SEBI payment gateway."

Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992

4. In the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992,–

I. In Schedule II, in clause 3, sub-clause (b) shall be substituted by the following, namely-
"(b) The fee referred to in paragraph 2 shall be paid by the merchant banker one month before the expiry of the block for which the fee has been paid."

II. In Schedule II, clause 4 shall be substituted by the following, namely-
"4. The fee specified in paragraphs 1, 2 and 3A shall be payable by the merchant banker by way of direct credit in the bank account through online payment using SEBI payment gateway."

Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993

5. In the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993-

I. In Schedule II, in clause 3, sub-clause (b) shall be substituted by the following namely-
"(b) The fee referred to in paragraph 2 shall be paid by the Debenture Trustee one month before the expiry of the block for which the fee has been paid."

II. In Schedule II, clause 4 shall be substituted by the following namely-
"4. The fee specified in paragraphs 1, 2 and 3A shall be payable by the Debenture Trustee by way of direct credit in the bank account through online payment using SEBI payment gateway."

Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993

6. In the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents), 1993-

I. In Schedule II, in clause 2, sub-clause (b) shall be substituted by the following namely-
"(b) The fee referred to in paragraph 1AA shall be paid by the Registrar to an issue and Share Transfer Agent one month before the expiry of the block for the which fee has been paid."

II. In Schedule II, clause 3 shall be substituted by the following namely-
"3. The fee specified in paragraphs 1, 1AA and 2A shall be payable by the Registrar to an Issue and Share Transfer Agent by way of direct credit in the bank account through online payment using SEBI payment gateway."

Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994

7. In the Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994-

I. In Schedule II, in clause 3, sub-clause (b) shall be substituted by the following namely-
" (b) The fee referred to in paragraph 2 shall be paid by the banker to an issue one month before the expiry of the block for which the fee has been paid."

II. In Schedule II, clause 4 shall be substituted by the following namely-
"4. The fee specified in paragraphs 1, 2 and 3A shall be payable by bankers to an issue by way of direct credit in the bank account through online payment using SEBI payment gateway."

Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999

8. In the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999-

I. In Second Schedule, in Part B, clause 4 shall be substituted by the following namely-
"4. The fee specified above shall be paid by way of direct credit in the bank account through online payment using SEBI payment gateway."

II. In Second Schedule, in Part B, after clause 4 the following shall be inserted namely-
"5. The (recurring) registration fee payable every three years as specified under item no. 4 of Part A, shall be paid by the credit rating agency one month before the expiry of the block for which the fee has been paid."

Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018

9. In the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018,–

I. In regulation 36, sub-regulation (6) shall be substituted by the following, namely-
"(6) The fee specified in sub-regulation (5) shall be paid one month prior to the expiry of the block for which the fee has been paid."

II. In Second Schedule, in Part B, for the fee to be paid by the Participant, the following shall be substituted namely-

"Fees to be paid by	*Manner of Payment*
Participant	Fees to be paid to the depository in which the payer is a Participant. The Depository shall forward the fees collected from participants to the Board, by way of direct credit in the bank account through online payment using SEBI payment gateway."

AJAY TYAGI, Chairman
[ADVT. III/4/Exty./56/2021

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.05.06 19:03:06 +05'30'